भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5743
27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रॉबर्ट्सगंज में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में गड़बड़ी

5743. श्री छोटेलाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रॉबर्ट्सगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र में जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों और आवश्यक दवाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के कब तक पूरी तरह से चालू होने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्थापित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनके संसाधन के दायरे में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उप-केंद्र (एससी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैसी नई स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करना शामिल है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र के रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में एक स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, जिसमें जिला संयुक्त अस्पताल और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में कुल 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यशील हैं जिनमें 45 डॉक्टर कार्यरत हैं और 45 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यशील हैं जिनमें 46 डॉक्टर कार्यरत हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं।

भारत के स्वास्थ्य संबंधी विकास सूचकांक (एचडीआई) 2022-23 के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों और उपलब्ध संसाधनों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में अवसंरचना विकास, साथ ही स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन (एचआरएच) का प्रबंधन और तैनाती, सीएचसी और पीएचसी की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार मानदंडों और उनकी आवश्यकता के अनुसार सीएचसी और पीएचसी का प्रस्ताव रख सकती है। भारत सरकार जांच के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एनएचएम (पीआईपी) और प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के तहत मंजूरी दे सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में 5324 डॉक्टर लेवल-1 पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022 में 231 (लेवल-II) विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और वर्ष 2024 में 343 विशेषज्ञ/सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। राज्य की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कैडर के चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दे दी है। सामान्य/स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति भी समय-समय पर पुनर्नियोजन, वॉक-इन इंटरव्यू, एनएचएम संविदा/रिवर्स बिडिंग आदि के माध्यम से की जाती है।
